



आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2284880, 2627021,
फैक्स: 0522-2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 143 / आ०ब०-1 / स०आ०यो०-पंजीकरण / 2016 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी, 2016
सेवा में,

✓ उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" हेतु M/S Shreya Dwellers Pvt. Ltd. (Consortium) द्वारा प्रस्तुत परियोजना ("SPLS AAWASIYA YOJNA") की डी०पी०आर० की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत M/S Shreya Dwellers Pvt. Ltd. (Consortium), New Delhi द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र के ग्राम-कुशलिया के खसरा नम्बर-1542, 1543, 1571, 1565, 1569 व 1541 (कुल 4.00 हेक्टेयर) के अन्तर्गत ("SPLS AAWASIYA YOJNA") नामक परियोजना आवास बन्धु, उ०प्र० में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-74/3492/आठ-14-34बैठक/14 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश संख्या-12/2016/110/आठ-1-16-34बैठक/2014 दिनांक 12 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-13/2016/120/आठ-1-16-34 बैठक/ 2014 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के अनुपालन में परीक्षण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28.01.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत ("SPLS AAWASIYA YOJNA") परियोजना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित परियोजना पर आपके विकास क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृत/अनुज्ञा प्रदान किये जाने को कार्यवाही शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उक्त परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में उपलिखित शासनादेशों के अनुपालन में आवश्यक अनुबन्ध भी सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-अनुमोदित डी०पी०आर० की हार्डकापी तथा साफ्टकापी।

भवदीय,

जन सम्पर्क कार्यालय
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
पत्र प्राप्ति का दि०..... 18/2/16

जन सम्पर्क कार्यालय
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
पत्र प्राप्ति का दि०..... 18/2/16

(एस०के०श्रीवास्तव)
निदेशक, अनुश्रवण 03-2-16

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक (आवास बन्धु)/सचिव (आवास विभाग), उ०प्र०शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
3. M/s Shreya Dwellers Private Limited, 102, F/F, L.S.C Gazipur P.No.2, Vardham Master Plaza, Delhi-1100092 को इस आशय से प्रेषित कि यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एस०के०श्रीवास्तव)
निदेशक, अनुश्रवण